

RBS No. 3/2011

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.95/RS(G)/363/1

New Delhi, dated 01-06-2011

The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C).
The General Manager, CORE, Allahabad.
The General Manager, Metro Railway, Kolkata.
The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara.
The MD, RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurgaon.
The MD, KRCL, Belapur Bhavan, 4th Floor, Sector-11, CBD, Belapur, Navi Mumbai.
The MD, MRVC, 2nd Floor, Church Gate station Building, Mumbai.
The MD, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
CAO/Workshop Projects organisation, 1st Floor, Chamber Bhawan, J.C. Road, Patna - 800001.
CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi.
CAO/MTP, NBCC Place, Bishma Pitamah Marg, Pragati Vihar, New Delhi.
CAO/MTP, Mumbai and Chennai.

Subject: Price Preference to SSI etc.

- Ref:**
1. No.56/RS(G)/363/13 dated 1.5.1959
 2. No.61/RS(G)167/3 dated 4.5.1961
 3. No.66/RS(G)/363/11 dated 28.1.1976 and 25.8.1976
 4. No.78/RS(G)363/2 dated 25.02.1978
 5. No.F(X)1/17/1 dated 26.3.1979
 6. No.85/RS(G)/363/2 dated 12.10.1987
 7. No.88/RS(G)/164/20/CAiii dated 20.4.1989
 8. No.80/RS(G)/779/63/Pt.iii dated 26.5.1989
 9. No.89/RS(G)/363/25 dated 16.11.1989
 10. No.85/RS(G)/363/2 dated 28.10.1991.
 11. No.85/RS(G)/363/2 dated 16.11.1998.
 12. No.95/RS(G)/363/1 dated 7.3.2001 & 11.09.2000.

In light of recent court decision about price preference to SSIs, it has been considered desirable to reiterate a summary of existing instructions on this subject.

The essence of various letters on price preference to NSIC/KVIC/WDC firms can be summarized as "Price Preference will be given to NSIC/KVIC/WDC units upto 15% on merit subject to their fulfilling the quality/specification criterion. The quantum of preference will be decided depending on the item and with a view to give further encouragement to SSI units to develop this item and this decision of quantum of preference will be decided in consultation with finance subject to the fact that price

preference cannot be taken for granted and vendor will make attempt to bring down cost and achieve competitiveness".

Railways are also required to put it in NIT.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry Railways.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)
Railway Board

No: 95/RS(G)/363/1

New Delhi, dated: 01-06-2011

Copy to:

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.
2. PCEs, All Indian Railways & Production Units.
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways.

[Signature]
for Financial Commissioner / Railways

No: 95/RS(G)/363/1

New Delhi, dated: 01-06-2011

Copy to:

1. The COSs, All Indian Railways & PUs including NF(C).
2. The COS, Metro Railway, Kolkata.
3. The COS, COFMOW, New Delhi.
4. The COS, CORE, Allahabad.
5. The COS, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, 4th Floor, Sector-11, CBD, Belapur, Navi Mumbai-400614.
6. The COS, Mumbai Rail Vikas Corporation, 2nd Floor, Church Gate station Building, Mumbai-400020.
7. The Directors-
 - a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad.
 - b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur.
 - c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik.
 - d. Sr.Prof. (Material Management), Railway Staff College, Vadodara.
 - e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune.

- f. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R.K.Puram, New Delhi
- g. Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
8. Chairman, Railway Rates Tribunal, Chennai.

9. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata.
10. Executive Director (Stores), RDSO, Manak Nagar, Lucknow.
11. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
12. ED(QA)/RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurgaon, Haryana.
13. CPM, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.
14. GM(Proj)-V, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.
15. Dy.CMM / Workshop Projects organisation, 1st Floor, Chamber Bhawan, J.C. Road, Patna -800001.
16. Zonal Railway Training Institute, Sukuadia Circle, Udaipur-313004.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 95/आरएस(जी)/363/1

नई दिल्ली, दिनांक: 01.06.2011

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित उत्पादन इकाइयां।
महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।
महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।
महानिदेशक, अ.अ.मा.स. लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
प्रबंध निदेशक, राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुडगांव।
प्रबंध निदेशक, कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लि., बेलापुर भवन, चौथा तल, सेक्टर-11, सी बी डी, बेलापुर, नवी मुंबई।
प्रबंध निदेशक, मुंबई रेल विकास निगम, दूसरा तल, चर्च गेट स्टेशन बिल्डिंग, मुंबई।
प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
मु.प्र.अ./कारखाना परियोजना संगठन, पहला तल, चेम्बर भवन, जे.सी. रोड, पटना-800001.
मु.प्र.अ./डीजलआधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला एवं कॉफमो, नई दिल्ली।
मु.प्र.अ./म.प.प., एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली।
मु.प्र.अ./म.प.प., मुंबई एवं चेन्नै।

विषय: एसएसआई आदि के लिए मूल्य में तरजीह देना।

- संदर्भ:**
1. 01.05.1959 का सं. 56/आरएस (जी)/363/13.
 2. 04.05.1961 का सं. 61/आरएस (जी)/167/3.
 3. 28.01.1976 एवं 25.08.1976 का सं. 66/आरएस (जी)/363/11.
 4. 25.02.1978 का सं. 78/आरएस (जी)/363/2.
 5. 26.03.1979 का सं. एफ (एक्स)1/17/1.
 6. 12.10.1987 का सं. 85/आरएस (जी)/363/2.
 7. 20.04.1989 का सं. 88/आरएस (जी)/164/20/सीए iii
 8. 26.05.1989 का सं. 80/आरएस (जी)^{779/}/63/पार्ट.iii
 9. 16.11.1989 का सं. 89/आरएस (जी)363/25.
 10. 28.10.1991 का सं. 85/आरएस (जी)/363/2.
 11. 16.11.1998 का सं. 85/आरएस (जी)/363/2.
 12. 07.03.2001 का सं. 95/आरएस (जी)/363/1.

तथा 11-9-2000

एसएसआई को मूल्य में तरजीह देने के बारे में हाल के न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, उपर्युक्त विषय पर मौजूदा अनुदेशों को सारांश में दोहराना वांछनीय समझा गया है।

एनएसआईसी/केवीआईसी/डब्ल्यूडीसी फर्मों को मूल्य में तरजीह दिए जाने के संबंध में विभिन्न पत्रों के मूल भाव को संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि "एनएसआईसी/केवीआईसी/डब्ल्यूडीसी इकाइयों को उनकी गुणवत्ता/विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने की शर्त के आधार पर मैरिट पर 15% तक मूल्य में तरजीह दी जाएगी। तरजीह की सीमा का निर्णय मद के आधार पर किया जाएगा और ऐसा करते समय यह बात भी ध्यान में रखी जाएगी की इस मद के विकास के लिए एसएसआई यूनिटों को और प्रोत्साहन मिले। मूल्यों में तरजीह का लाभ स्वतः प्राप्त नहीं होगा। तरजीह की सीमा के संबंध में निर्णय वित्त के परामर्श से लिया जाएगा और यह देखा जाएगा कि वेंडर लागत को कम करने के लिए प्रयास करें और प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर सकें।"

रेलवे द्वारा भी इसे एनआईटी पर रखना अपेक्षित है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी) I
रेलवे बोर्ड

सं. 95/आरएस(जी)/363/1

नई दिल्ली, दिनांक: 01.06.2011

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. पी सी ई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
3. एडीआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. लेखा परीक्षक, सभी भारतीय रेलें।


कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 95/आरएस(जी)/363/1

नई दिल्ली, दिनांक: 01.06.2011

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सीओएस/सभी भारतीय रेलें एवं पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित उत्पादन इकाइयां।
2. सीओएस, मेट्रो रेल कोलकाता।
3. सीओएस, कॉफमो, नई दिल्ली।
4. सीओएस, कोर, इलाहाबाद।

5. सीओएस, कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, चौथा तल, सेक्टर-11, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614.
6. सीओएस, मुंबई रेल विकास निगम, दूसरा तल, चर्च गेट स्टेशन बिल्डिंग, मुंबई-400020.
7. निदेशक -
 - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद।
 - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
 - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक।
 - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधक) रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
 - ङ. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
 - च. भारतीय रेल लॉजिस्टिक एवं सामग्री प्रबंधन संस्थान, आईडीए हाउस, सेक्टर-4, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, रेल दर अधिकरण, चेन्नै।
9. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
10. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., मानक नगर, लखनऊ।
11. मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, लखनऊ।
12. कार्यपालक निदेशक (क्यू ए)/राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा।
13. सीपीएम, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
14. महाप्रबंधक (परियोजना)-V, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
15. उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/कारखाना परियोजना संगठन, पहला तल, चेम्बर भवन, जे.सी. रोड, पटना-800001.